Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 136: Relevancy of statements under certain circumstances

A statement made and signed by a person on appearance in response to any summons issued under section 70 during the course of any inquiry or proceedings under this Act shall be relevant, for the purpose of proving, in any prosecution for an offence under this Act the truth of the facts which it contains,—

- (a) when the person who made the statement is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the court considers unreasonable; or
- (b) when the person who made the statement is examined as a witness in the case before the court and the court is of the opinion that, having regard to the circumstances of the case, the statement should be admitted in evidence in the interest of justice.

www.cggst.com

धारा 136 : कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता

इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी समन के प्रत्युत्तर में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में तथ्य की सत्यता सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट है—

- (क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मृत है या वह नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या जिसकी हाजिरी विरोधी पक्ष द्वारा किसी तरीके से रोकी गई है या जिसको ऐसी देरी के बिना हाजिर नहीं किया जा सकता है, जिसे मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अयुक्तियुक्त मानता है; या
- (ख) जब किसी व्यक्ति की जिसने कथन किया है न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में परीक्षा की जाती है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

www.cggst.com